दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / 2020–21 / 1509 दिनांकः– 18/01/2021

खुलीबोली सूचना सं. 02 / 2020–21

रा.रा.प्र.नि.मं. क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन व सुरक्षाकर्मी की सेवायें अनुबंध पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी बोलीदाताओं से निम्नानुसार मुहरबंद बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैः–

क.सं.	कार्य का नाम (अनुबंध आधार पर सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु)	संख्या	अनुमानित लागत	बोली शुल्क (Non refundable)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	बोली खोले जाने की तिथि
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	3	8,00,000 / – रूपये	500 / – रूपये	27.01.2021 दोपहर 1.00 बजे तक	28.01.2021 दोपहर 12.00 बजे
2.	सिक्योरिटी मैन	3				

सामान्य निर्देशः–

1. बोली प्रपत्र दिनांक 18.01.2021 से 27.01.2021 तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र व अन्य शर्ते वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.inअथवा विभागीय वेबसाईट http://rpcb.rajasthan.gov.in पर भी देखी एव डाउनलोड की जा सकती है।
2. बोली प्रपत्र शुल्क की निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक **Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board** (Payable at Bikaner) के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क Non refundable है तथा शुल्क के अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
3. बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त / जी एण्ड टी / एस पी एफ सी / 2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र (जिस पर 50 / – रू. स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है) बिड के साथ निर्धारित स्टॉम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. किसी भी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या बोली को निरस्त करने का क्षेत्रीय अधिकारी का अधिकार सुरक्षित है।
5. बोली सूचना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(प्रेमा लाल रैगर)
क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम,बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

क्रमांकः राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / 2020–21 / दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम,बीकानेर

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

-: तकनीकी बोली प्रपत्र:-

बोली शुल्क – रू. 500/–

(कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन एवं सुरक्षाकर्मी संविदा पर लेने हेतु बोली प्रपत्र)

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की बोली सूचना संख्या– ....दिनांक........................
2. बोली दाता/संवेदक का नाम ....
3. डाक का पता ....
....
4. बोलीदाता फोन/मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल ....
6. बैंक का नाम ....
आईएफसी कोड ....
खाता संख्या ....
7. बोली शुल्क विवरण : (1) 500/–रू. (पॉच सौ मात्र)
बैंकर्स चैक/डीडी क्रमांक............................दिनांक............
राशि......................(डिमाण्ड ड्राफ्ट **Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board** (PAYABLE AT BIKANER)के पक्ष मे देय होगा।)
8. बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त/जी एण्ड टी/एस पी एफ सी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र (जिस पर 50/– रू. स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है) बिड के साथ निर्धारित स्टॉम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनीअनिवार्य होगी:–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम 2006 (PASARA) का लाईसेंस				
8.	सूरक्षा कार्य बोली हेतु नागरिक एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर या राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर से जारी सुरक्षा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु लाईसेंस (Valid)				
9.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50 रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
10.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 2 वर्षो (2018–19 एवं 2019–20) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्था/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंक में न्यूनतम 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन व 3 सुरक्षाकर्मी, एक समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलबध करवायें जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेज के साथ लगानी होगी–

क्र.स.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध करवाए गए कार्मिक का आदेश विवरण व संख्या	उपलब्ध करवाए गए कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				

11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/प्राईस बिड को छोड़कर अन्य बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं कागजात के साथ तकनीकी बोली के साथ स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करना है। वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करनी है।
12. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।
13. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

14. मै / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना कमांक........................दिनांक......................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
15. संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

General Terms & Condition of Bid &Contract :

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. वित विभाग परिपत्र दिनांक 11.07.2018 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी से व्यक्तियों (सिक्योरिटी मैन, कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक) की सेवायें अनुबंधित नही की जावेगी बल्कि 'सुरक्षा' एवं 'कम्प्यूटर कार्य' कराने का अनुबंध किया जावेगा, यहां कार्य को अनुबंधित किया जावेगा न कि व्यक्ति को।
3. अनुबंध पूर्णतया जॉब बेसिस आधार पर होगा तथा जॉब कार्य के अन्तर्गत सफल बोलीदाता द्वारा लगाये जाने वाले कार्मिको की सेवाये पूर्णतः अस्थायी एवं जॉब बेसिस आधारित होगी। जॉब कार्य ठेके के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक किसी भी रूप में स्थायी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।
4. कोई भी बोलीदाता, जहां उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं प्रस्तुत करेगा। GST पंजीयन संख्या का शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा तथा इसके अभाव में बोली प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा।
5. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय बोलीओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर, उक्त लिफाफो को एक बडे लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर "**मैनपावर हायर किये जाने हेतु बोली**" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुॅच जावे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोली प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी या अस्पष्ट/अपठनीय किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी, यदि दरे शब्दो एवं अंको में अलग–अलग दर्शायी जाती है तो राजकीय हित में दोनो में से जो कम होगी, वही दर मानी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये बोलीओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. बोली फॉर्म के साथ बोली शुल्क राशि रूपये 500/–**Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board**(PAYABLE AT BIKANER) के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि Non Refundable है।
8. बोलीदाता/संवेदक का सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में सुरक्षाकर्मी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन उपलब्ध करवाने का अनुभव अवश्य होना चाहिए। अनुभव संबंधी दस्तावेज बिड दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर, अनुलग्नक–1 के प्रारूप में बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र, जिस पर 50/– रू. स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है, बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

10. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :–
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की **2.5 प्रतिशत** राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **"Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board**,(Payable at Bikaner) के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम मे निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टॉम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा
(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
11. बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर प्रस्तुत करने पर ही बोली स्वीकार की जायेगी। बोलीदाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में बोली कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व तथा श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दरो के अनुसार अनुबंधित कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित बोलीदाता/ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय में अनुबंधित कार्मिको को श्रम विभाग राजस्थान सरकार की नवीनतम अधिसूचना दिनांक 06.03.2019 में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरे बढाई जाती है तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बोलीदाता/ठेकेदार को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
13. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कार्य का अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जावे) पंजीकृत फर्म/व्यक्तियो द्वारा ही बोलीं भरी जावेगी। फर्म होने की दशा में पंजीकरण की प्रति बोली के साथ संलग्न होने पर ही बोली स्वीकार की जावेगी।
14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही बोलीदाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. बोलीदाता/संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौती और बोलीदाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही बोलीदाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलो से वैधानिक कटौतियां एवं टी.डी.एस. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।
16. बोलीदाता/संवेदक द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर(GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की ही होगी। बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर(ळैज) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर(GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व बोलीदाता/संवेदक का होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

17. बोलीदाता/संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर बोलीदाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, कार्मिकों हेतुभ्मसचसपदमनम्बर एवं बोलीदाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा। ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की सूची नाम, पते सहित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तथा समय समय पर ठेके कर्मियों के परिवर्तन किये जाने/हो जाने की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
18. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/ दायित्वो के लिये बोलीदाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे।
19. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व बोलीदाता/संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. यदि बोलीदाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में बोलीदाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
22. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
23. कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में बोलीदाता/संवेदक किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्यामें वृद्धि होने पर अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
24. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
25. ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के बिल से काट लिया जावेगाएवं सात दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, बीकानेर को होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

26. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
27. विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
28. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
29. मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता / संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली / क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

30. न्यूनतम बोली दरे एक से अधिक बोलीदाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में :–
    न्यूनतम दर के साथ बोली की दरो की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा।क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य अनुभव आदि को मद्देनजर रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की बोली स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंधमें कोई वाद विवाद स्वीकार नही होगा और न ही क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अन्य बोलीदाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी।
31. बोली का अपवर्जन (Exclusion):–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
32. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–
    कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण(Forfeiture) किया जा सकेगाः–
    (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    (ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
33. भुगतानः–
    (प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
34. बोलीदाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को बोलीदाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवश्यक होगा। बोलीदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु बोलीदाता स्वयं उतरदायी होगा।
35. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियां की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उतरदायी नही होगा। इस बोलीदाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
36. कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, घ्रुमपान–गुटका–पान–शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
37. स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।
38. सफल बोलीदाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखा जायेगा तथा इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

दूरभाष : 0151-2250006

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

39. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियो के बिलो के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी कर्मचारियो को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियो को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा। देरी से भुगतान करने पर 500/– प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालय में शास्ति पैनेल्टी की राशि जमा करवानी होगी।
40. कर्मचारी कार्य के दौरान सोते हुए पाये जाने पर या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा।तथा ठेकेदार से पैनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।
41. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं कार्यसम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियो की उपलब्धता मांग के अनुरूप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल बोलीओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर को होगा।
42. बोलीदाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का बोलीदाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।
43. सशर्त बोलीएं स्वीकार नही होगी।
44. बोलीदाता स्वयं /उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी बोलीदाता की रहेगी।
45. किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।
46. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका उतरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर को ठेकेदार से होगा।
47. यदि बोलीदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान बोलीदाता द्वारा जमा कार्यसम्पादन राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर उसकी अमानत राशि में से पेनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर सिक्योरिटी मैन उपलब्ध न कराने व शर्तो को न मानने पर बोलीदाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
48. उपर्युक्त शर्तो में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, बीकानेर को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
49. GFAR भाग द्वितीय के नियम–68 व SR-16 की समस्त शर्ते लागू होगीं।

E-mail:- ro.bikaner@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

मोबाईल नं....................................

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली बोली के लिये शर्तेः–

1. **शैक्षणिक योग्यता**
   (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / समकक्ष होनी चाहिए।
   (i) कम्प्यूटर ऑपेरटर को विडोंज / लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।
   (ii)कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।
2. **मशीनों का विवरणः**–बोलीदाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।
   (i) Computer-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15'' Monitor/TFT or bigger 10/100/1000Mbps Lan card, CD/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
   (ii) Printer:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
   (iii) UPS:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.
3. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो बोलीदाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
5. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/– की कटौती की जावेगी।
6. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
7. कार्यालय में कार्य की आवश्कयता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेंगा।
8. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो बोलीदाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवााना अनिवार्य होगा।
9. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

सिक्योरिटी मैन की सेवाओं हेतु विशिष्ट नियम एवं शर्तेः–

1. सुरक्षाकर्मी सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु बोलीदाता फर्म नागरिक एवं गृह रक्षा विभाग जयपुर या राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से जारी सुरक्षा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकृत (वैधता अवधि के साथ) होनी चाहिए एवं तकनीकी बोली खोलने की दिनांक को फर्म का उक्त पंजीकरण लाईसेंस वैध होना चाहिए।
2. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम श्रमिक को चौकीदार या सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
3. सामान्य दृष्टि (चश्मा/बिना चश्में के) बिना सहायता के चलने–फिरने, बोलने–सुनन की क्षमता वाले व्यक्ति सुरक्षा कार्य के लिए पात्र होगें। रोग ग्रस्त, मानसिक बीमारी से ग्रसित, रात्रि अंधता (Night Blindness) दुर्व्यसन आदि से लिप्त इस कार्य के लिए पात्र नहीं होगें
4. रात्रि में परिसर के अन्दर चौकीदार करने वाला सिक्योरिटी मैन पूरे परिसर में घूम घूम कर पूर्ण सतर्कता से पूरे परिसर में सभी जगहो की चौकीदारी करेगा।
5. सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा।
6. सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा अवकाश पर जाने की सूचना दो दिन पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी को देनी होगी व साथ ही अवकाश की सूचना ठेकेदार को भी देनी होगी।
7. सिक्योरिटी मैन अवकाश पर जाने पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये नये सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
8. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मद्यपान व घुम्रपान आदि का सेवन वर्जित है। मद्यपान व घुम्रपान आदि करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
10. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका उतरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर को होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

प्राईस शिड्यूल

वित्तीय बोली/ प्राइस बिड

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिए वित्तीय बोली में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगीः—

क्र. सं.	सेवा का नाम	कार्मिक को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			राशि प्रतिमाह प्रति इकाई	EPFदर प्रतिशत	ESIदर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	7774	03	7774	13% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)			
2.	सिक्योरिटी मैन	कुशल	6474	03	6474	13% (नियोक्ता	3.25% (नियोक्ता)	लागू नहीं		

- उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की प्रविष्टियां संबंधित उपापन संख्या द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध करवायी जा रही है तथा स्तम्भ संख्या 09 से 11 तक बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ की जानी है।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में,(0)शुन्य, एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
Email :-ro.bikaner@gmail.com

TECHNICAL BID CHECKLIST

क्र. स.	तकनीकी दस्तावेज विवरण	संलग्न है या नही (हाँ / नहीं)	संलग्नक कमांक	टिप्पणी यदि कोई है।
1.	बोली प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये है।			
2.	बोली शुल्क राशि रूपये 500 / –डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैकMember Secretary, Rajasthan State Pollution Control Boardके पक्ष में			
3.	बिडसिक्यूरिटी घोषणा पत्र(जिस पर रू 50 / स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिशत सरचार्ज देय)			
4.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र			
5.	पैन कार्ड			
6.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र			
7.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970			
8.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
9.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
10.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गतट			
11.	फर्म होने की दशा में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र			
12.	सूरक्षा कार्य बोली हेतु नागरिक एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर या राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर से जारी सुरक्षा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु लाईसेंस (Valid)			
13.	पूर्व या वर्तमान में आप द्वारा जिन संस्थानों में कार्य किय गया उनकी सूची (कार्यादेश संलग्न करें)			

बोलीदाता को उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :-ro.bikaner@gmail.com

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया हैं मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता हे तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं RTPP''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्वत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

Annexure - L

Form of Bid-Securing Declaration

Date:...

Bid No.:...

Alternative No. :......................................

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid- Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-

(a) When we withdraw or modify our bid after opening of bids;

(b) When we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and

(e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;

(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;

(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.

(iv) The cancellation of the procurement process; or

(v) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed:---

Name :---

In the capacity of :--------------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on........................day of ....

Corporation Seal----------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in

a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

दूरभाष : 0151–2250006

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
Email :- ro.bikaner@gmail.com

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to...for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated.............................. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of bidder

Date:.....................

Palace:...................

Name

Designation

Address

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(5) Form of Appeal

दूरभाष : 0151-2250006

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151-2250006

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

Email :- ro.bikaner@gmail.com

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of……………………………………

Before the …………………………………. (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   …………

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ……………

Place:………………

Date:……………….

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151-2250006
क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
Email :- ro.bikaner@gmail.com

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष : 0151–2250006

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं. 33 स्पेशल, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
Email :- ro.bikaner@gmail.com

fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)